न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

(2)

न0
/22

तारीख दायरा
25.08.2022

तारीख फैसला
27.1.23

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

नन्दकिशोर उर्फ किशोर आत्मज गोमदा जी उर्फ गोविन्दलाल जी जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 भूमि वाके ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। यह कि वादी व उसके भाई बहनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्त व खाते की खाता संख्या 17 पर निम्न खसरा नम्बरान की खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0, 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 भूमि वाके ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान तहसील दीगोद में स्थित चली आ रही है। यह कि वादी का नाम नन्दकिशोर है तथा पिता का नाम गोविन्दलाल है। किन्तु उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर किशोर तथा पिता का नाम गोविन्दलाल के स्थान पर गोमदा दर्ज हो गया है जो गलत है। जबकि वादी के नाम से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, व आधार कार्ड में भी वादी का नाम नन्दकिशोर व पिता का नाम गोविन्दलाल अंकित है। यह कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशौर व पिता का नाम गोमदा अंकित होने के कारण वादी को अपने खाते की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर किशोर व पिता का नाम गोविन्दलाल के स्थान पर गोमदा दर्ज कर दिया है जो गलत है। यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशोर

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

पर नन्दकिशोर व पिता का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड में किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 17.08.2022 को निवेदन पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना श्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण दिनांक 17.082022 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया। यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि कि वादी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 भूमि वाके ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान तहसील दीगोद भूमि में वादी का नाम किशोर के स्थान पर नन्दकिशोर अथवा नन्दकिशोर उर्फ किशोर एवं पिता का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल अथवा गोविन्दलाल उर्फ गोमदा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में ग्राम नीमली जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में खसरा नम्बर 353/141 रकबा 1.02 है0 तथा खाता संख्या 17 किता 3 रकबा 3.70 है0 में किशोर पुत्र गोमदा के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र गोविन्दलाल जाति मीना दर्ज किये जाने किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार मण्डल खेडली तवरान तहसील दीगोद में वादी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्व व खाते की खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 तथा खाता संख्या 17 पर खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0, 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 भूमि में वादी का नाम किशोर पुत्र गोमदा के स्थान पर किशोर उर्फ नन्दकिशोर पुत्र गोमदा उर्फ गोविन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

नन्दकिशोर उर्फ किशोर आत्मज गोमदा जी उर्फ गोविन्दलाल जी जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार मण्डल खेडली तवरान तहसील दीगोद में वादी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्व व खाते की खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 तथा खाता संख्या 17 पर खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0, 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 भूमि में वादी का नाम किशोर पुत्र गोमदा के स्थान पर किशोर उर्फ नन्दकिशोर पुत्र गोमदा उर्फ गोविन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)